

# Delhi Transport Corporation

# ANNUAL AUDIT REPORT

2019-2020

# Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of Delhi Transport Corporation for the year ended 31 March 2020

We have audited the attached Balance Sheet of Delhi Transport Corporation (Corporation) as on 31 March 2020 and the Profit and Loss Account for the year ended on that date under Section 33(2) of the Road Transport Corporation Act, 1950 and Section 19 (2) of the CAG (DPC), Act. These financial statements are the responsibility of the Corporation's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

- 2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) only on the accounting treatment with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the law, rules and regulations (propriety and regularity) and efficiency-cumperformance aspects, if any, are reported through the Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.
- 3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- 4. Based on our audit, we report that:
  - i. We have obtained all the information and explanations except as indicated in comment No. B7 and 6 (i) of Annexure I, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
  - ii. The Balance Sheet and Profit and Loss Account dealt with in this Report have been drawn up in the format approved by the Government of NCT of Delhi in consultation with the Comptroller and Auditor General of India as per Section 33(1) of the Road Transport Corporations Act, 1950.
  - iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Corporation as required under Section 33(1) of the Road Transport Corporation Act, 1950, in so far as it appears from our examination of such books.

#### iv. We further report that:

#### **Comments on Accounts**

#### A. Balance Sheet

Liabilities Funds and Reserve (Schedule 'C') Gratuity Fund- ₹ 82.74 crore

1. In Note No. 27 to the Balance Sheet it has been stated that the actuarial valuation for gratuity as on 31 March 2020 in line with the Accounting Standard-15 has been worked out as ₹ 652.15 crore by the Actuarial consultant. However, in accounts gratuity liability of ₹ 82.74 crore only has been booked.

This resulted in understatement of Provision for Gratuity Fund and Net Loss by ₹ 569.41crore each.

Despite comment of the CAG on the accounts for the year 2017-18 and 2018-19, no corrective action has been taken by the Corporation.

#### Current Liabilities (Schedule-'D') - ₹ 636.59 crore

2. The Goods and Service Tax (GST) Department had raised a demand (June 2019) of ₹ 7.19 crore as total service tax liability and ₹ 14.83 crore as total interest in connection with the outcome of a legal case wherein it was held that the entire amount of service tax is payable by DTC, being the service provider to the advertising agencies. The interest of ₹ 14.83 crore was waived off under the SABKA VISHWAS (Legacy Dispute Resolution) Scheme – 2019 and GST Department agreed for deposit balance of ₹ 1.27 crore of GST. However, no liability for ₹ 1.27 crore was provided in accounts.

This resulted in understatement of Current Liabilities and Expenditure for the year by ₹ 1.27 crore. Consequently Net Loss for the year was understated by ₹ 1.27 crore.

#### **Assets**

Current Assets, Loan and Advances Sundry debtors and Other Receivables (Schedule H)-Recoverable Automatic Fare Collection System - ₹ 29.10 crore

3. The above amount is the penalty / pre-estimated damages recoverable from M/s Trimax IT Infrastructure Services Limited against which Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT) initiated the Corporate Insolvency Resolution Process in February 2019 and approved the same in May 2020. However, the claims of the Corporation were not considered though DTC has planned to file an appeal before NCLT. In view of insolvency proceedings and non-consideration of claims in Resolution Plan, the recovery from the agency is doubtful but no provision for doubtful receivables made in the accounts.

Non provision for doubtful receivables resulted in overstatement of Sundry Debtors & Other Receivables and understatement of Net Loss by ₹ 29.09 crore each.

Despite similar comment of the CAG on the accounts for the year 2018-19, no corrective action has been taken by the Corporation.

#### Advances and deposits (Schedule –'J') Advances to suppliers ₹ 357.73 crore

4. The above includes ₹ 2.38 crore as advances against construction of bus depots at Kanjhawala I & II (₹1.16 crore) and Rohini-IV (₹1.22 crore). These works were completed and depots are functional from the year 2010, however, advances to the contractors have not been adjusted against the respective fixed assets pending receipt of utilisation certificate from DSIIDC.

Non adjustment of advances to suppliers resulted in overstatement of Advances to suppliers and understatement of Fixed Assets by ₹ 2.38 crore each.

5. The above also includes ₹ 65.01 lakh being the advance given to I&FCD for 'Renovation of Mehrauli Terminal' on deposit basis. This work has been closed in 2014 and advance has been utilized by the executing agency, however, assets created has not been capitalised.

This resulted in overstatement of Advances and understatement of Fixed Assets by ₹ 65.01 lakh.

#### Bank and Cash Balance (Schedule I) Short Term Deposit with Banks – ₹ 151.94 crore

6. The above includes ₹ 16.51 crore being amount deposited with the registry of Court as per the directions of the Hon'ble High Court of Delhi. However, same is wrongly accounted as short term deposits with banks instead of Advances to suppliers as this amount is in the nature of interim deposit or advance till the disposal of case.

This resulted in overstatement of Short Term Deposit with Banks and understatement of Advances and Deposits by ₹ 16.51 crore each.

#### B. Profit and Loss Account

Expenditure

Income

#### Utilisation of Grant in Aid/any other item – ₹ 18.45 crore

7. The Accounting Policy of the Corporation on treatment of Grant-in-Aid provides that the Government Grant for Capital works (Construction of Bus Depots/Terminals) for specific fixed assets is being reflected as income of the Corporation in the Profit and Loss Account. This Accounting Policy is in contravention to the requirement of Accounting Standard 12 which requires that Government Grants related to depreciable

assets are to be treated as deferred income which is recognized in the Profit and Loss statement on a systematic and rational basis over the useful life of the asset or deduction from the cost of fixed assets acquired.

During the period 2006-07 to 2019-20, the Corporation had accounted for grant of ₹ 177.76 crore as income in Profit and Loss account which was utilised for Construction of Bus Depots in violation of requirement of AS-12. As the details of assets created out of grant funds received for Construction of Bus Depots/Terminals were not made available to audit, the impact of ₹ 177.76 crore on accounts could not be commented.

Despite similar comment of the CAG on the accounts for the year 2018-19, no corrective action has been taken by the Corporation.

#### **Non-Operating Income**

#### Rent Receipt (Outside Agency) – ₹ 32.42 crore

8. The above does not include rent and water charges of ₹ 1.61 crore recoverable from eight Motor Licencing Office, Zonal offices of the Department of Transport, GNCTD operating from various DTC Depots for the year.

Non accountal of income resulted in understatement of Rent receipt (outside agency) and understatement of Sundry Debtors and Other receivables by ₹ 1.61 crore. Consequently Net Loss has been overstated by the same amount.

# Interest on Short Term Deposit Others – ₹ 1.13 crore

9. The above does not include interest on savings account with Canara bank amounting to ₹ 32.74 lakh for the period from 01.02.2020 to 31.03.2020. Non booking of interest resulted in understatement of Interest income, Current Assets (accrued income) and overstatement of Net Losses by ₹ 32.74 lakh each.

#### C. Accounting Policies and Notes to Balance sheet

10. The DTC Employee Superannuation Pension Trust (Trust) is maintaining separate accounts for pension payable to employees. The Corporation receives grant from GNCTD for payment of pension contribution to Trust. Trust accounts shows a balance of ₹ 6.52 crore in the Corpus Fund as against the lowest actuarial valuation of pension liability of ₹ 1,203.58 crore, assessed by SBI Life Insurance Company in May 2015. Thus, there was a shortfall of ₹ 1,197.06 crore (₹ 1,203.58 crore − ₹ 6.52 crore) in the accounts of the Pension Trust which has to be made good by the Corporation as per regulations of the Pension Scheme. The Corporation at Note No 9 of Notes to Accounts disclosed that liability of pension and recoveries has not been provided for in accounts as it receives annual grant from GNCTD for payment of pension to employees. However

- the likely liability as per actuarial valuation by SBI life insurance has not been disclosed in Notes to Accounts. Further no actuarial valuation was got done after May 2015.
- 11. The Corporation in Note No.25 disclosed age-wise details of Sundry debtors and receivables. However, no provision for doubtful debts against debtors/ receivables amounting to ₹ 326.03 crore, which are outstanding for more than three years, were provided or disclosed in the accounts.
  - Despite similar comment of the CAG on the accounts for the year 2017-18 and 2018-19, no corrective action has been taken by the Corporation.
- 12. The Fixed Assets includes ₹ 1.48 crore being the cost of five buses prematurely scrapped (burnt/accident) and taken off the road during the period 2013-14 to 2016-17 and recommended to be scrapped by the competent authority but approval of Board of Directors' for write off these buses is pending. This fact has not been disclosed in the Notes to Accounts.
  - Despite comment of the CAG on the accounts for the year 2018-19, no corrective action has been taken by the Corporation.
- 13. Sundry Debtors and other receivables does not include ₹ 3.00 crore being amount recoverable from M/s. Shivaai Industries (P) Ltd. as per interim award of Delhi High Court in March 2020 which was agreed / undertaken by the party in connection with legal dispute with the party since long. The matter is still pending in High Court, but the Corporation has neither booked this amount as receivable nor disclosed in Notes to accounts.

#### D. General

- **14.** The Corporation in violation of the requirement of Accounting Standard -15 did not make the provision for leave encashment on actuarial basis.
  - Despite comment of the CAG on the accounts for the year 2017-18 and 2018-19, no corrective action has been taken by the Corporation.
- E. Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the management through Management Letter issued separately for remedial/corrective action.
  - The impact of above observations is that the losses of the corporation for the year were understated by  $\stackrel{?}{\underset{?}{|}}$  597.83 crore, Liabilities understated by  $\stackrel{?}{\underset{?}{|}}$  570.68 crore and Assets overstated by  $\stackrel{?}{\underset{?}{|}}$  27.15 crore.

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the

Balance sheet and the Profit and Loss Account dealt with by this Report are in

agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the

explanations given to us, the said financial statements read together with the

Accounting Policies and Notes on accounts and subject to the significant matters

stated above and other matters mentioned in Annexure I to this Report, give a

true and fair view in conformity with the accounting principles generally

accepted in India:

(a) In so far as it relates to the Balance Sheet of the state of affairs of Delhi

Transport Corporation as at 31 March 2020; and

(b) In so far as it relates to the Profit and Loss Account, the loss for the year

ended on that date.

A review of the financial position & working results of the Corporation and physical

results for the last three years ended March 2020 are given in Annexure II and III

respectively.

For and on behalf of the Comptroller and Auditor General of India

Place: New Delhi

Date:

(S K Thakur) Principal Accountant General (Audit), Delhi

#### Annexure-I

- 1. Adequacy of Internal Audit System: The internal audit of the Corporation has been conducted by the Chartered Accountant firm namely M/s Mukesh Raj & Company. The said CA firm has conducted the audit for the period 2019-20 and all reports have been submitted by the firm.
- 2. Adequacy of Internal Control System: The Audit Committee of the DTC Board was constituted in April 2006. The main functions of the Audit Committee were to assess and review the financial reporting system and to monitor the adequacy and effectiveness of internal audit and internal controls. During the year 2019-20, no Audit Committee meeting was held. Non-holding of the meetings has resulted in audit observations being repeated for number of years without any corrective action being taken by the Corporation. Repeated audit observations indicate weak internal control which requires attention of the Management. Thus, there is need to have frequent meetings of the Committee to ensure effective internal control.
- **3. System of physical Verification of Assets**: Physical verification of fixed assets was conducted during the year 2019-20.
- **4.** System of physical Verification of Inventory: Physical verification of inventory has been carried out.
- **5.** Regularity in payment of Statutory Dues: There was no delay of more than six months in payment of statutory dues of the Corporation.

#### 6. Other comments:

- i. The Corporation did not provide the bank certificates of five out of 19 accounts in respect of closing balances taken in the Bank Reconciliation Statement. Further, the balance as per bank book as on 31 March 2020 taken in Bank Reconciliation Statement in respect of three bank accounts does not match with the closing balance as per bank certificate and needs reconciliation.
- ii. The Corporation has not created any system of obtaining confirmation of balances from debtors and other receivables.

Annexure- II
The Financial Position and Working Results of the corporation for the three years ended on 31 March 2020

### (I) Financial Position

(₹in crore)

	(vii crore)				
S. No.	<b>Particulars</b>	2017-18	2018-19	2019-20	
A	Liabilities				
(a)	(a) Paid up Capital (including reserve for		1,443.85	1,443.85	
	equity capital)				
(b)	Equity Capital under JNNURM Scheme	540.00	540.00	540.00	
(c)	Reserve and Surplus	-	-	-	
(i)	Free Reserve	62.09	62.24	86.52	
(ii)	Capital Reserve	219.03	242.53	265.63	
(d)	Grants/Subsidy	33.03	43.35	24.90	
(e)	Borrowings				
(i)	Government of India	-			
(ii)	Government of NCT of Delhi	11,676.14	11,676.14	11,676.14	
(f)	Interest payable to Govt. of NCT of Delhi	20,818.06	26,070.10	32,248.27	
(g)	Current Liabilities and Provisions	951.16	598.35	636.59	
	Total	35,743.36	40,676.56	46,921.90	
В	Assets				
(h)	Gross Block	2,216.75	2,188.21	2,182.62	
	Less: Depreciation	1,437.27	1,576.33	1,732.61	
	Net Block	779.48	611.88	450.01	
(i)	Capital Work in Progress	0.16	17.93	31.96	
(j)	Current Assets	1,490.81	1,293.28	1,539.41	
(k)	Accumulated losses	33,472.91	38,753.47	44,900.52	
Total		35,743.36	40,676.56	46,921.90	
(1)	Capital Employed	(19,750.83)	(25,031.24)	(31,154.01	
(m)	Net Worth	(31,426.97)	(36,707.38)	(42,830.15)	
(n)	Debt Equity Ratio (e(ii)/(a+b)	5.89	5.89	5.89	

### (II) Working Results

S. No.	Particulars	2017-18	2018-19	2019-20
1	Total Revenue			
i)	Operating	810.12	777.57	792.44
ii)	Non-Operating	2,086.21	1,931.71	2,130.31
	Total	2,896.33	2,709.28	2,922.75
2	Total Expenditure (Operating and Non-	7,089.31	7,776.74	8,848.46
	Operating) but excluding depreciation			
3	Profit/Loss for the year	(-) 4192.98	(-) 5067.46	(-) 5925.71
4	Prior Period Adjustments	49.45	(-) 41.89	(-) 49.72
5	Loss on account of deleted buses	(-) 0.02	-	(-) 0.49
6	Re-appropriation/Depreciation	(-) 185.96	(-) 191.05	(-) 189.59
7	Utilization of Grant-in-Aid	0.10	19.85	18.45
8	Net surplus/deficit	(-) 4329.41	(-) 5280.55	(-) 6147.06

Annexure- III
Physical performance of Delhi Transport Corporation for the three years ended on 31 March 2020

Sr. No.	Particulars	2017-18	2018-19	2019-20
1	Average number of vehicles held	3,973.00	3,897.00	3,792.00
2	Average number of vehicles on road	3,405.00	3,298.00	3,224.00
3	Percentage of fleet utilization	85.70	84.63	85.02
4	Route Kms at the end of period			
	i. City	12,490.70	11,968.10	12,183.80
	ii. Interstate	247.00	242.00	219.00
5	Scheduled Kms for Operation (lakh)	2,771.63	2,699.41	2,570.80
6	Actual Kms Operated (lakh)	2,377.68	2,345.25	2,276.30
7	Operational Efficiency	83.82	81.32	86.76
8	Gross Kms covered (lakh)	2,391.39	2,352.49	2,280.05
9	Number of operating Depots	39.00	39.00	35.00
10	Average Kms covered per bus per day	191.00	195.00	193.00
11	Average revenue per Km (in Paisa)			
	i. Operating	3,133.00	3,037.00	3,464.28
	ii. Non-Operating	8,793.00	8,255.00	9,329.78
12	Average Expenditure per Km (in Paisa)	30,599.00	33,977.00	39,515.06
13	Loss per Km (in Paisa) after prior period adjustment	18,209.00	22,516.00	26,872.73
14	Average number of accidents per lakh Kms	0.05	0.05	0.05
15	Scheduled Passenger Kms operated (in crore)	1,274.06	1,205.31	1,223.82
16	Actual Passenger Kms operated (in crore)	1,099.18	1,048.01	1,082.63

#### It may be seen from above table that:

- a. The operational efficiency has decreased from 83.82 per cent in 2017-18 to 81.32 per cent in 2018-19 but increased to 86.76 per cent in 2019-20.
- b. Average kilometres covered per bus per day have increased from 191 km in 2017-18 to 195 km in 2018-19 but decreased to 193 km in 2019-20.
- c. The loss per km increased from ₹ 182.09 in 2017-18 to ₹ 225.16 in 2018-19 which further increased to ₹ 268.73 in 2019-20.



# दिल्ली परिवहन निगम

लेखा परीक्षा रिपोर्ट

2019-2020

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दिल्ली परिवहन निगम के खातों की 31 मार्च 2020 को समाप्त हो रहे वर्ष की अलग से बनाई गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

हमने 31 मार्च 2020 तक उस वर्ष के दिल्ली परिवहन निगम (निगम) के संलग्नित तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय खाते का लेखापरीक्षण सड़क परिवहन निगम अधिनियम,1950 की धारा 33 (2) तथा सीएजी (डीपीसी),अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत किया है। यह वित्तीय ब्यौरे निगम के प्रबंधन की जिम्मेदारी पर हैं। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय ब्यौरों पर अपने लेखापरीक्षण पर आधारित सलाह देने की है।

- 2. यह अलग से बनाई गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैंग) के केवल लेखा व्यवहार से संबंधित वर्गीकरण, उत्कृष्ट लेखा प्रणालियों से मिलान, लेखा मानकों तथा प्रकाशन मानक आदि पर सलाह सम्मिलित करता है। वित्तीय लेन–देन पर लेखा परीक्षण अवलोकन कानून, दिशा एवं निर्देश (औचित्य एवं नियामक) तथा कौशल के साथ प्रदर्शन दृष्टिकोण इत्यादि, अगर है, तो वे जांच रिपोर्ट / कैंग लेखा परीक्षण रिपोर्ट में अलग से बताए जायेंगे।
- 3. हमने अपना लेखा परीक्षण भारत में आमतौर पर अमल में लाए जाने वाले लेखा मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम लेखापरीक्षण का नियोजन और कार्यान्वयन यह सुनिश्चित करने के लिए करें कि वित्तीय ब्यौरे किसी भी प्रकार के भौतिक अशुद्ध वर्णन से मुक्त हों। एक लेखा परीक्षण में टेस्ट आधार पर जांच, राशि के संबंध में तथ्य तथा वित्तीय ब्यौरे में प्रकटीकरण शामिल है। एक लेखापरीक्षण में इस्तेमाल किए गए लेखा मूल तत्व तथा प्रबंधन द्वारा सार्थक आंकलन, तथा साथ ही साथ वित्तीय ब्यौरों के संपूर्ण प्रकटीकरण की जांच भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारा लेखापरीक्षण हमारी सलाह को एक सही आधार देता है।
- 4. हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि :
- (i) अनुलग्नक I की टिप्पणी संख्या बी7 और 6(i) में दर्शायी गई जानकारी को छोड़कर हमने अपनी जानकारी और समझ के आधार पर सभी जरूरी जानकारी और स्पष्टीकरण जो कि लेखापरीक्षण के लिए जरूरी है जुटा लिया है।
- (ii) इस रिपोर्ट में व्यवहारित तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय खाते को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृत प्रारूप के अनुसार सड़क परिवहन निगम अधिनियम,1950 की धारा 33 (1) के तहत भारतीय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से बनाया गया है।
- (iii) हमारे विचारानुसार,सड़क परिवहन निगम अधिनियम,1950 की धारा 33 (1) की अपेक्षा के तहत बहीखातों एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों का उचित रखरखाव किया गया है, जैसा कि अब तक हमारे समक्ष इन बही की जांच से प्रतीत होता है।

(iv) इसके अलावा हम यह रिपोर्ट देते हैं कि :

बही-खातों पर टिप्पणियाँ

क. तुलन पत्र

देयताएँ

कोष एवं आरक्षित राशि (अनुसूची 'सी)

आनुतोषिक कोष - 82.74 करोड़ रूपये

1. तुलन पत्र के नोट संख्या 27 में यह दर्ज किया गया है कि बीमांकिक परामर्श द्वारा 31 मार्च 2020 को बही—खाता मानदंड—15 के समान आनुतोषिक का बीमांकिक मूल्य 652.15 करोड़ रूपये आंका गया है। हालांकि,बही—खातों में आनुतोषिक देयता केवल 82.74 करोड़ रूपये ही दर्ज की गई है। इसके परिणामस्वरूप आनुतोषिक कोष प्रावधान एवं सकल घाटे में परस्पर 569.41 करोड़ रूपये की न्यूनोक्ति हो गई है।

वर्ष 2017—18 तथा 2018—19 के बही—खातों पर सीएजी द्वारा की गई टिप्पणियों के बावजूद,निगम द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है।

# चालू देयताएँ (अनुसूची - 'डी') - 636.59 करोड़ रूपये

2. उत्पाद एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग ने एक कानूनी मामले के परिणाम के संदर्भ में कुल सेवा कर देयता के तौर पर 7.19 करोड़ रूपये तथा कुल ब्याज रकम के तौर पर 14.83 करोड़ रूपये (जून 2019) की मांग रखी थी जिसमें यह संघटित किया गया था कि सेवा कर की संपूर्ण रकम डीटीसी द्वारा देय है,जो कि विज्ञापन एजेंसियों का सेवा प्रदाता है। सबका विश्वास (कानूनी विवाद समाधान) योजना –2019 के अंतर्गत 14.83 करोड़ रूपये की ब्याज राशि माफ की गई थी तथा जीएसटी विभाग ने 1.27 करोड़ रूपये की बकाया जीएसटी राशि के लिए हामी भरी थी। हालांकि,बही—खातों में 1.27 करोड़ रूपये के लिए कोई देयता नहीं प्रदान की गई थी।

इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान चालू देयताएँ एवं व्यय 1.27 करोड़ रूपये से न्यूनोक्त हो गए थे। परिणामस्वरूप वर्ष का कुल घाटा भी 1.27 करोड़ रूप से न्यूनोक्त हो गया था।

#### संपत्तियाँ

चालू संपत्तियाँ,ऋण एवं अग्रिम राशि

विविध देनदार एवं अन्य प्राप्य रकम (अनुसूची एच)

स्वचालित किराया संग्रहण प्रणाली से प्राप्य – 29.10 करोड़ रूपये

उपरोक्त रकम मैसर्स ट्राईमैक्स आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड से प्राप्य जुर्माना / पूर्व—आंकलित नुकसान है जिसके विरुद्ध माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) ने फरवरी 2019 में कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया को प्रारंभ किया था तथा मई 2020 में इसे स्वीकृति दी थी। हालांकि, निगम के दावों पर ध्यान नहीं दिया गया था

मगर डीटीसी ने एनसीएलटी के समक्ष एक याचिका दायर करने की योजना बनाई है। दिवालिया कार्यवाहियों तथा समाधान योजना के दावों पर ध्यान ना दिए जाने के मद्देनजर, एजेंसी से रकम वसूलना अनिश्चित है मगर बही—खातों में संदिग्ध प्राप्यों के लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। संदिग्ध प्राप्यों के लिए प्रावधान नहीं किए गए हैं। संदिग्ध प्राप्यों के लिए प्रावधान ना करने के कारणवश विविध देनदारों एवं अन्य प्राप्यों तथा कुल घाटे में परस्पर 29.09 करोड़ रूपये की क्रमशः अत्युक्ति एवं न्यूनोक्ति हो गई है।

वर्ष 2018—19 के बही—खातों पर सीएजी की समान टिप्पणियों के बावजूद,निगम द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है।

अग्रिम राशि एवं जमा राशि (अनुसूची-'जे')

# प्रदायकों को अग्रिम राशि - 357.73 करोड़ रूपये

4. उपरोक्त में 2.38 करोड़ रूपये की रकम शामिल है जो कि कझावला I एवं II (1.16 करोड़ रूपये) तथा रोहिणी— IV (1.22 करोड़ रूपये) में बस डिपो निर्माण के एवज में दी गई अग्रिम राशि है। ये कार्य पूरे हो चुके हैं तथा ये डिपो वर्ष 2010 से कार्यरत है,हालांकि, ठेकेदारों की अग्रिम राशि को डीएसआईआईडीसी से उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधी स्थायी संपत्ति लंबित रसीद के एवज में समायोंजित नहीं किया गया है।

प्रदायकों को दी गई अग्रिम राशि का समायोजन ना होने से प्रदायकों को दी गई अग्रिम राशि तथा स्थायी संपत्ति परस्पर 2.38 करोड़ रूपये से क्रमशः अत्युक्त एवं न्यूनोक्त हो गई है।

5. उपरोक्त में 65.01 लाख रूपये की रकम भी शामिल है जो कि आईएंडएफसीडी को "महरौली टर्मिनल नवीनीकरण" के संदर्भ में डिपो आधार पर अग्रिम राशि के तौर पर दी गई थी। ये काम 2014 में बंद हो गया था और अग्रिम राशि का उपयोग कार्यकारी एजेंसी द्वारा कर लिया गया है, हालांकि,निर्मित संपत्तियों का लाभ नहीं उठाया गया है।

इसके परिणामस्वरूप अग्रिम राशि तथा स्थायी संपत्तियों में परस्पर 65.01 लाख रूपये की क्रमशः अत्युक्ति एवं न्यूनोक्ति हो गई है।

# बैंक एवं नकद शेष (अनुसूची आई)

# बैंकों में लघुवधि जमा राशि — 151.94 करोड़ रूपये

6. उपरोक्त में 16.51 करोड़ रूपये की रकम शामिल है जिसे माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशानुसार न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा किया गया था। हालांकि, इस रकम को प्रदायकों को दी गई अग्रिम राशि के बजाय गलती से बैंक में जमा लघुवधि जमा राशि के तौर पर माना गया था क्योंकि मामले की समाप्ति तक यह रकम अंतरिम या अग्रिम जमा राशि की श्रेणी में आती है। इसके परिणामस्वरूप बैंकों में लघुवधि जमा राशि तथा अग्रिम राशि एवं जमा राशि परस्पर 16.51 करोड़ रूपये से क्रमशः अत्युक्त एवं न्यूनोक्त हो गए हैं।

व्यय

आय

# सहायता अनुदान / अन्य राशि का प्रयोग - 18.45 करोड़ रूपये

7. सहायता अनुदान के प्रबंधन पर निगम की लेखांकन नीति कहती है कि विशिष्ट स्थायी संपत्तियों के लिए पूंजीगत कार्यों हेतु (बस डिपो/टर्मिनल्स का निर्माण कार्य) सहायता अनुदान को निगम की आय के तौर पर आय एवं खाते में दर्शाया गया है। यह लेखांकन नीति लेखांकन मानदंड 12 की आवश्यकता का उल्लंघन है जिसके तहत अवक्षयी संपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थिगत आय के तौर पर उपचारित करना है जिन्हें सुव्यवस्थित एवं तर्कसंगत आधार पर संपत्ति की उपयोगी जीविका या स्थायी संपत्तियों की अधिग्रहण लागत से की गई कटौती के तहत आय एवं व्यय खाते में दिखाया गया है।

वर्ष 2006—07 से 2019—20 की अविध के दौरान, निगम ने आय एवं व्यय खाते में आय के तौर पर 177.76 करोड़ रूपये के अनुदान का हिसाब दिया था जिसका उपयोग एएस—12 का उल्लंघन करते हुए बस डिपो के निर्माण कार्य में किया गया था। बस डिपो / टिर्मिनल्स के निर्माण कार्य हेतु प्राप्त हुए अनुदान कोष से निर्मित संपत्ति की जानकारी लेखापरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं थी, अतः बही—खातों पर 177.76 करोड़ रूपये के पड़ने वाले प्रभाव पर टिप्पणी करना संभव नहीं था। वर्ष 2018—19 के खातों पर सीएजी की समान टिप्पणी के बावजूद,निगम ने कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की है।

#### गैर-संचालनीय आय

## किराया प्राप्ति (बाह्य एजेंसी) - 32.42 करोड़ रूपये

8. उपरोक्त में 1.61 करोड़ रूपये का वह किराया और जल प्रभार शामिल नही है जो आठ मोटर लाईसेंस कार्यालय,परिवहन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों,वर्ष के दौरान विविध डीटीसी डिपो से संचालनीय जीएनसीटीडी से प्राप्य है।

आय का हिसाब ना देने के कारणवश किराया प्राप्ति (बाह्य एजेंसी) तथा विविध देनदारों एवं अन्य प्राप्यों में 1.61 करोड़ रूपये की परस्पर न्यूनोक्ति हो गई थी। परिणामस्वरूप इसी रकम से कुल घाटे की अत्युक्ति हो गई है।

## लघुवधि जमा राशि पर ब्याज

#### अन्य - 1.13 करोड़ रूपये

9. उपरोक्त में 1.2.2020 से 31.3.2020 अवधि की केनरा बैंक बचत खाते की 32.74 लाख रूपये की ब्याज रकम शामिल नही है। ब्याज को बही में ना दर्ज करने से ब्याज आय,चालू संपत्तियों (उपार्जित आय) तथा कुल घाटे में परस्पर 32.74 लाख रूपये की क्रमशः न्यूनोक्ति एवं अत्युक्ति हो गई है।

## ग. लेखांकन नीतियाँ एवं तुलन पत्र संबंधी टिप्पणियाँ

- 10. डीटीसी कर्मचारी सेवानिवृत्ति पेंशन निक्षेप (ट्रस्ट), अपने कर्मचारियों को देय पेंशन के संदर्भ में पृथक बही—खातों का रखरखाव कर रहा है। जीएनसीटीडी से अनुदान राशि निक्षेप को पेंशन योगदान भुगतान के एवज में निगम द्वारा प्राप्त की जाती है। कॉपर्स कोष में निक्षेप खातों द्वारा 6. 52 करोड़ रूपये का शेष पेंशन देयता के 1203.58 करोड़ रूपये के न्यूनतम बीमांकिक आंकलन के एवज में दर्शाया जा रहा है, जिसका आंकलन एसबीआई जीवन बीमा कंपनी द्वारा मई 2015 में किया गया था। अतः, पेंशन निक्षेप खाते में 1197.06 करोड़ रूपये (1203.58 करोड़ रूपये 6.52 करोड़ रूपये) का अभाव है जिसे पेंशन योजना विनियमों के अनुसार निगम ने पूरा करना है। निगम ने बहीखाता टिप्पणियों, की टिप्पणी संख्या 9 में खुलासा किया था कि पेंशन और प्राप्यों के लिए देयता को बहीखातों में प्रदान नहीं किया गया है क्योंकि कर्मचारियों को पेंशन भुगतान के लिए निगम द्वारा जीएनसीटीडी से वार्षिक अनुदान प्राप्त किया जाता है। हालांकि एसबीआई जीवन बीमा द्वारा किए गए बीमांकिक आंकलन के अनुसार संभावित देयता को बही—लेखा टिप्पणियों में उजागर नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, मई 2015 के बाद कोई बीमांकिक आंकलन नहीं किया गया था।
- 11. निगम ने टिप्पणी संख्या 25 में विविध देनदारों एवं प्राप्यों की उम्र—आधारित जानकारी का खुलासा किया था। हालांकि, तीन वर्षों से भी ज्यादा समय से लंबित 326.03 करोड़ रूपये की देनदारियों / प्राप्यों के एवज में संदिग्ध देनदारियों के लिए बहीखातों में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

वर्ष 2017—18 तथा 2018—19 बहीखातों पर सीएजी की समान टिप्पणियों के बावजूद,निगम द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है।

- 12. स्थायी संपत्तियों में 1.48 करोड़ का वह खर्च शामिल है जो 2013-14 से 2016-17 की अविध के दौरान समय से पहले कबाड़ हो चुकी पांच बसों को सड़कों से हटाने तथा सक्षम प्राधिकरण को कबाड़ करने संबंधी सुझाव पर हुआ था मगर इन बसों को हटाने के लिए निदेशक मंडल की स्वीकृति लंबित है। इस तथ्य का खुलासा बहीखाता टिप्पणियों में नहीं किया गया है।
  - वर्ष 2018—19 बहीखातों पर सीएजी की टिप्पणियों के बावजूद,निगम द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है।
- 13. विविध देनदार एवं अन्य प्राप्यों में 3 करोड़ रूपये की वह रकम शामिल नही है जो दिल्ली उच्च न्यायालय के मार्च 2020 में जारी किए गए अंतरिम अधिनिर्णय के अनुसार मैसर्स शिवाई इंडस्ट्रीज (प्र.) लिमिटेड से प्राप्य है जो इस पक्ष से लंबे समय से चले आ रहे विवाद के संदर्भ में पक्ष द्वारा स्वीकृत रकम है। यह मामला अभी भी उच्च न्यायालय में लंबित है, मगर निगम ने ना ही इस रकम को प्राप्य के तौर पर बही खाते में दिखाया है और ना ही इसे बहीखाता टिप्पणियों में उजागर किया है।

- 14. निगम ने लेखांकन मानदंड—15 की आवश्यकता का उल्लंघन करते हुए बीमांकिक आधार पर अवकाश नकदीकरण हेतु कोई प्रावधान नहीं बनाया था। वर्ष 2017—18 तथा 2018—19 बहीखातों पर सीएजी की टिप्पणियों के बावजूद,निगम द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है।
- ड. लेखापरीक्षण रिपोर्ट में जो किमयाँ शामिल नहीं की गई हैं उन्हें सुधारात्मक कार्यवाही हेतु पृथक रूप से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन के संज्ञान में लाया गया है। उपरोक्त अवलोकनों का यह प्रभाव है कि निगम का इस वर्ष का घाटा 597.83 करोड़ रूपये से न्यूनोक्त,देयताएँ 570.68 करोड़ रूपये से न्यूनोक्त तथा संपत्तियाँ 27.15 करोड़ रूपये से अत्युक्त हो गए थे।
  - 5. उपरोक्त परिच्छेदों में की गई हमारी जांच के आधार पर, हम यह प्रमाणित करते हैं कि इस रिपोर्ट के संबंध में तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय खाता का रखरखाव खातों की किताबों के अनुबंध के अनुसार हुआ है।
  - 6. हमारे मतानुसार तथा हमें प्रदान की गई जानकारी तथा विस्तारीकरण के आधार पर, उपरोक्त वित्तीय ब्यौरे तथा उनके संदर्भ में सार्थक लेखा पॉलिसी तथा लेखा नोट्स, तथा सार्थक मुद्दें, तथा अनुसूची—1 में दर्ज इस रिपोर्ट के अन्य मामलें भारत में अमल में आने वाले खातों की नियम प्रणाली के अनुसार एक सही और आदर्श रूप प्रस्तुत करते हैं।
  - क. दिल्ली परिवहन निगम के 31 मार्च 2020 के कामकाजी तुलन पत्र के संदर्भ में जहाँ तक संबंधित है; तथा
  - ख. उस तारीख को खत्म हो रहे वर्ष के आय एवं व्यय खाता, घाटे के संदर्भ में जहाँ तक संबंधित है।

निगम की मार्च 2020 को समाप्त हो रहे तीन वर्षीय वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणामों की समीक्षा अनुलग्नक II एवं III में क्रमशः दी गई है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

(एस के ठाकुर) मुख्य महालेखाकार (लेखापरीक्षण), दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक :

#### अनुलग्नक - 1

- 1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता : मैसर्स मुकेश राज एंड कंपनी नामक सनदी लेखाकार प्रतिष्ठान द्वारा निगम का आंतरिक लेखा परीक्षा किया जाता है। उक्त सीए प्रतिष्ठान ने वर्ष 2019—20 की अवधि का लेखापरीक्षण संचालित किया है तथा प्रतिष्ठान द्वारा सभी प्रतिवेदन जमा किए जा चुके हैं।
- 2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता : डीटीसी बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का अप्रैल 2006 में गठन हुआ था। लेखा परीक्षा समिति के मुख्य कार्य वित्तीय सूचना प्रणाली की जांच और निरीक्षण और आंतरिक लेखा परीक्षा और आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावकारिता को जांचना है। 2019—20 के दौरान, कोई लेखा परीक्षा समिति की मीटिंग नहीं हुई। बैठकों का आयोजन ना होने के कारणवश लेखापरीक्षण अवलोकन निगम द्वारा बिना किसी सुधारात्मक कार्यवाही के बगैर कई वर्षों तक लगातार दोहराये गए। लेखापरीक्षण अवलोकनों के दोहराव से कमजोर आंतरिक नियंत्रण झलकता है जिस पर प्रबंधन द्वारा ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। अतः, आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता को सुनिश्चित करने हेतु समिति की बैठकों को नियमित रूप से आयोजित करने की आवश्यकता है।
- 3. परिसंपत्तियों की वास्तविक सत्यापन प्रणाली : वर्ष 2019—20 के दौरान परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया गया था।
- 4. माल सूची की वास्तविक सत्यापन प्रणाली : माल सूची का वास्तविक सत्यापन हो चुका है।
- 5. वैधानिक देयताओं के भुगतान में नियमितता : निगम के वैधानिक देयताओं के भुगतान में छह महीने से ज्यादा के विलंबन का कोई मामला नहीं है।

# 6. अन्य टिप्पणियाँ :

- 1. निगम ने बैंक समाधान विवरण में बंद किए गए 19 खातों में से 5 के बैंक प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराए थे। इसके अतिरिक्त, बैंक समाधान विवरण में तीन बैंक खातों के संदर्भ में 31 मार्च 2020 को बैंक बही के अनुसार शेष का मिलान बैंक प्रमाणपत्र के समापन शेष से नहीं होता है और इसका मिलान अपेक्षित है।
- 2. निगम ने देनदारों तथा अन्य प्राप्यों से शेष राशियों की सुनिश्चिचता प्राप्त करने की कोई प्रणाली विकसित नहीं की है।

31 मार्च 2020 को समाप्त हो रहे वर्ष तक निगम की तीन वर्षीय वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणामों का लेखा—जोखा

# (I) वित्तीय स्थिति

(करोड़ में)

更祖		विवरण	2017-18	2018-19	2019-20
•	देयताएँ				
( <u>a</u> )	प्रदत्त पूंजी (शेयर प समेत)	यूंजी के लिए आरक्षित राशि	1,443.85	1,443.85	1,443.85
(평)	जेएनएनयूआरएम योज	ाना के तहत शेयर पूंजी	540.00	540.00	540.00
(刊)	आरक्षित राशि एवं आ	धेशेष			
(1)	मुक्त आरक्षित राशि		62.09	62.24	86.52
(2)	पूंजीगत आरक्षित राशि	T	219.03	242.53	265.63
(घ)	अनुदान	* 77	33.03	43.35	24.90
(3.)	उधार				
(1)	भारत सरकार		5. 5.7.5		
(2)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	दिल्ली सरकार	11,676.14	11,676.14	11,676.14
(च)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	दिल्ली सरकार को देय ब्याज	20,818.06	26,070.10	32,248.27
(8)	चालू देयताएँ एवं प्राव	धान	951.16	598.35	636.59
	कुल	1	35,743.36	40,676.56	46,921.90
ख		संपत्तियाँ			
(ज)	सकल खंड		2,216.75	2,188.21	2,182.62
	घटा : हास मूल्य		1,437.27	1,576.33	1,732.61
	कुल खंड		779.48	611.88	450.01
(1)	प्रक्रियारत कार्य पूंजी		0.16	17.93	31.96
(2)	चालू संपत्ति		1,490.81	1,293.28	1,539.41
(돼)	संचित हानि		33,472.91	38,753.47	44,900.52
	कु	ल	35,743.36	40,676.56	46,921.90
(河)	प्रयुक्त पूंजी		(19,750.83)	(25,031.24)	(31,154.01
(5)	निवल संपत्ति		(31,426.97)	(36,707.38)	(42,830.15)
(ਰ)	ऋण इक्विटी अनुपा	त (ड.(2)/(क+ख)	5.89	5.89	5.89

REL:	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20
1	कुल राजस्व			
i)	संचालनीय	810.12	777.57	792.44
1)	गैर—संचालनीय	2,086.21	1,931.71	2,130.31
	कुल	2,896.33	2,709.28	2,922.75
2	कुल व्यय (संचालनीय एवं गैर-संचालनीय) मगर हास मूल्य को छोड़कर	7,089.31	7,776.74	8,848.46
3	वर्ष का मुनाफा / नुकसान	(-) 4192.98	(-) 5067.46	(-) 5925.71
4	पूर्व-अवधि समायोजन	49.45	(-) 41.89	(-) 49.72
5	हटाई गई बसों के एवज में हुआ नुकसान	(-) 0.02		(-) 0.49
6	हास मूल्य	(-) 185.96	(-) 191.05	(-) 189.59
7	सहायता अनुदान का उपयोग	0.10	19.85	18.45
8	कुल अधिशेष / न्यूनता	(-) 4329.41	(-) 5280.55	(-) 6147.06

अनुलग्नक — III दिल्ली परिवहन निगम का 31 मार्च 2020 को तीन वर्षीय वास्तविक प्रदर्शन

P.E.	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20
1	संघटित वाहनों की औसत संख्या	3,973.00	3,897.00	3,792.00
2	सड़क पर चल रहे वाहनों की औसत संख्या	3,405.00	3,298.00	3,224.00
3 -	बेड़े की उपयोगिता प्रतिशत	85.70	84.63	85.02
4	अवधि समापन पर सड़क किमी.			
	(i) शहरी	12,490.70	11,968.10	12,183.80
	(ii) अंतर्राज्यीय	247.00	242.00	219.00
5	संचालन के लिए निर्धारित किमी. (लाख)	2,771.63	2,699.41	2,570.80
6	वास्तविक संचालनीय किमी. (लाख)	2,377.68	2,345.25	2,276.30
7	संचालनीय क्षमता	83.82	81.32	86.76
8	कुल आवृत्त किमी. (लाख)	2,391.39	2,352.49	2,280.05
9	संचालनीय डिपो की संख्या	39.00	39.00	35.00
10	प्रत्येक बस द्वारा एक दिन में आवृत्त औसत किमी.	191.00	195.00	193.00
11	प्रति किमी. औसत राजस्व (पैसे में)			
	(i) संचालनीय	3,133.00	3,037.00	3,464.28
	(ii) गैर-संचालनीय	8,793.00	8,255.00	9,329.78
12	प्रति किमी. औसत व्यय (पैसे में)	30,599.00	33,977.00	39,515.06
13	पूर्व-अवधि समायोजन पश्चात् प्रति किमी. नुकसान	18,209.00	22,516.00	26,872.73
	(पैसे में)			
14	प्रति लाख किमी. पर दुर्घटनाओं की औसत संख्या	0.05	0.05	0.05
15	संचालन योग्य निर्धारित यात्री किमी. (करोड़ में)	1,274.06	1,205.31	1,223.82
16	वास्तविक यात्री किमी. संचालित किए गए (करोड़ में)	1,099.18	1,048.01	1,082.63

# उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

- क. 2017—18 की 83.82 प्रतिशत संचालनीय क्षमता के मुकाबले 2018—19 में संचालनीय क्षमता घटकर 81.32 प्रतिशत रह गई है मगर 2019—20 में बढ़कर 86.76 प्रतिशत हो गई है।
- ख. 2017—18 में प्रत्येक बस द्वारा प्रतिदिन आवृत्त औसत किमी. 191 से बढ़कर 2018—19 में 195 हो गए हैं मगर 2019—20 में घटकर 193 रह गए हैं।
- ग. 2017—18 में प्रति किमी. नुकसान 182.09 रूपये था जो 2018—19 में बढ़कर 225.16 तथा 2019—20 में और बढ़ते हुए 268.73 हो गया है।

# REVIEW FOR THE AUDIT REPORT AND ANNUAL ACCOUNTS OF D.T.C. FOR THE YEAR 2019-2020

- 1. D.T.C.is a Statutory Corporation Established under the Road Transport Corporation Act, 1950 as amended by Delhi Road Transport Laws (Amendment) Act, 1971. The Union Govt. took over the assets and liabilities as on 02.11.1971 from the erstwhile Delhi Transport Undertaking operated by Municipal Corporation of Delhi.
- 2. Subsequently, DTC was transferred to Govt. of NCT, Delhi vide Notification dated 05.08.1996 after writing off all the Union Govt. Loans along with interest accrued thereon amounting to Rs.2123.21 crores.
- 3. The Corporation had 3762 buses in its fleet, operating 437 city routes and 7 Inter-State routes as on 31.03.2020. DTC is providing various services like Low Floor AC & Non-AC Buses, 'U' Special, and Night services, Tourist and Airport Express Services. DTC had also undertaken the responsibility for providing buses to Schools including Army Schools and Police Department on demand to maintain, Law and Order situation in the National Capital Territory of Delhi.
- 4. The Corporation was operating International Bus Services on Delhi-Lahore & Delhi Kathmandu. As on 31.03.2020, 1 AC Deluxe VOLVO Buses was operating on Delhi-Lahore and 2 AC Deluxe VOLVO buses were being operated on Delhi Kathmandu route.
- 5. DTC is being funded by Govt. of NCT, Delhi for its Capital Expenditure in the shape of Equity Capital for procurement of buses and development of related infrastructural facilities of Bus Depot / Terminals etc.
- 6. Similarly, Grant-in-Aid is being released by Govt. of NCT of Delhi for meeting the operating deficit from year to year due to non-generation of sufficient internal resources by the Corporation.
- 7. Subsidy is also being released by Govt. of N.C.T. of Delhi against issuance of concessional passes to various sections of society on social consideration.

- 8. Subsidy against Pink Passes is also being released by the Govt. of NCT of Delhi based on the actual Sale of Pink Passes @ Rs. 10/-per Pink Pass.
- 9. The brief working results of the Corporation for the year 2019-2020 as per Annual Accounts are given hereunder:-

<u>S.</u>	No. Particulars	Amount (Rs.in Crores)
1.	Total Revenue (Operating & non-operating)	2922.75
2.	Total expenditure (Operating & non-operating including Depreciation & Interest on Govt. Loans)	9038.94
3.	Working Loss / Profit	(+) 195.33
4.	Net Loss	6116.20
5.	Prior Period Adjustment	30.86
6.	Net Loss carried over to Balance Sheet.	6147.06

\*\*\*\*\*\*\*\*

# <u>DELAY STATEMENT SHOWING REASONS FOR DELAY IN LAYING THE</u> AUDIT REPORT OF D.T.C. FOR THE YEAR 2019-20

The schedule of finalization and submission of Annual Accounts and Audit Report with actual date is given hereunder:-

S. No.	Description	Action By	Schedule Date	Actual Date
1.	Completion / Submission of Annual Accounts to Audit.	D.T.C.	30.06.2020	18.01.2021
2.	Adoption of Annual Accounts by Board (Audit will however start auditing on receipt of Accounts).	D.T.C	15.07.2020	25.03.2021
3.	Release of Draft Audit Report	C&AG	31.08.2020	11.08.2021
4.	Comments on Draft Audit Report to Audit / Govt. of N.C.T. of Delhi.	D.T.C.	30.09.2020	08.09.2021
5.	Govt. of NCT's Comments to Govt. Audit	S.T.A.	10.10.2020	
6.	Release of Final Audit Report by Govt. Audit.	C&AG	15.11.2020	10.12.2021
7.	Hindi Translation and Photocopying work.	D.T.C.	22.12.2021	03.01.2022
8.	Laying of the copies of Annual Accounts and Audit Report on the table of Assembly.	S.T.A	01.04.2021	

The Audit Report and Annual Accounts for the year 2019-2020 could not be laid on the Table of Legislative Assembly by 01.04.2021 because Final Audit Report was released by C&AG on 10.12.2021.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*